**संख्या-141/2019/2230/22-2-2019-17(988)/2019**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2019***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शमी पुत्र श्री नूर मोहम्मद, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-06-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मो0 शमी पुत्र श्री नूर मोहम्मद, जो गौसपुर, थाना-कमालगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 01.12.1979 को 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी चाकू से वारकर मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **उक्त अपराध हेतु** बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-78/1980 भा0द0सं0 की धारा-148, 302/149, 324/149, **323/149** के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 02.07.1980 द्वारा दोषमुक्त किया गया, किन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार की अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा** भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। **प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि** बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 01.12.1979 को 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी चाकू से वारकर मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 शमी पुत्र श्री नूर मोहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

**3-** उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 शमी (बन्दी संख्या-16898) पुत्र श्री नूर मोहम्मद, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-141/2019/2230(1)/22-2-2019 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-141/**2019/2230/22-2-2019-17(988)/2019**

दिनांक 25 **अक्टूबर**, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 शमी (बन्दी संख्या-**16898**) पुत्र श्री नूर मोहम्मद, जो गौसपुर, थाना-कमालगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 01.12.1979 को 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी चाकू से वारकर मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **उक्त अपराध हेतु** बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-78/1980 भा0द0सं0 की धारा-148, 302/149, 324/149, **323/149** के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 02.07.1980 द्वारा दोषमुक्त किया गया, किन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार की अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा** भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। **प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि** बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 01.12.1979 को 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी चाकू से वारकर मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 शमी पुत्र श्री नूर मोहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in